## आदेश-फलक

# न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०- 83/2011-12, दोस्त मोहम्मद मियाँ बनाम सतीश देवान वगै०

केस का प्रकार- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| 01/9/12 | प्रस्तुत वाद आवेदक दोस्त मोहम्मद के द्वारा अंचल को समर्पित आवेदन तथा अंचल के द्वारा जाँचोपरांत भेजे जाने अभिलेख के आधार पर प्रारंभ की।<br>आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि अंचल चनपटिया के मौजा गुरवलिया के खेसरा 3479 रकबा 3 बिगहा 7 कट्ठा 3 धुर, खेसरा 3487 में सात कट्ठा 5 धुर, खेसरा 3480 में 3 कट्ठा 2 धुर, खेसरा- 2761 में 14 कट्ठा 9 धुर, खेसरा - 2577 में 5 कट्ठा 16 धुर भूमि को भिन्न-भिन्न विपक्षीगण ने कब्जा जमा लिया है। प्रश्नगत भूमि का ~~[illegible]~~ खतियानी रैयत आवेदक के पिता स्व० सगर जोलहा हैं। मेरे पिता ने विपक्षीगण को बटाई के रूप में खेती के लिए दिया था।<br>आवेदक के आवेदन के आलोक में विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के क्रम में पाया गया कि कुछ विपक्षी की मृत्यु हो गई है। अतः आवेदक के अनुरोध पर | |

# आदेश-फलक

## न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| | मृतक के वारिसों को पक्षकार बनाया गया।<br>उपस्थित विपक्षीगण में से कुछ विपक्षीगण ने प्रश्नगत विवादित भूमि से कोई लेना-देना नहीं होने की बात कही तो कुछ विपक्षीगण (2 से 5) ने प्रश्नगत भूमि में कुछ हिस्से को क्रयनामा दस्तावेज से खरीदगी भूमि होने का दावा करते हुए दस्तावेज उपस्थापित किये। न्यायालय में उपस्थित विपक्षी ने आवेदक के आवेदन को अपूर्ण, भ्रमात्मक, बिना भूमि की विवरणी, खाता, चौहद्दी, का उल्लेख किये हुए बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया है।<br>उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक का आवेदन अस्पष्ट एवं अपूर्ण है। आवेदक ने अपने चल रहे वाद के दौरान या आवेदन में कभी भी विवादित भूमि का विस्तृत विवरणी खाता, खेसरा, रकबा एवं चौहद्दी के साथ अद्यतन दखलकारों की सूची देने में असफल रहे। जिससे | |

# आदेश-फलक

## न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| | [illegible] कारण न्यायालय प्रत्येक खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी एवं अवैध दखलकारों के दखल कब्जा के कागजों की समीक्षा कर निवारण करने की स्थिति में नहीं है। <br> आवेदक के अपूर्ण आवेदन एवं तथ्यों के अभाव के कारण वाद की कार्रवाई भी चलाया जाना या कोई न्याय निर्णित करना निर्धारित समय के अंदर किया जाना संभव नहीं है अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। <br> [illegible] <br> 0/9/16 <br> भूमि सुधार उप समाहर्ता <br> बेतिया <br> न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता * बेतिया (प०चम्पारण) * | |